

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश: दिनांक 05/08/2021 द्वारा स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में रिक्त पदों पर चयनित कार्मिकों की "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए पदस्थापन किये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर के पत्र क्रमांक: 3553 दिनांक: 15.09.2021 के क्रम में उक्त जारी पदस्थापन के आदेशों में निम्नांकित कार्मिकों का पारिवारिक परिस्थितियों के कारण पदस्थापन निरस्त किया जाता है-

क्र.स	कार्मिक का नाम	पूर्व पद व पदस्थापन स्थान	वर्तमान पदस्थापन पद	पदस्थापन ब्लॉक व जिला	पदस्थापन आदेश में कार्मिक की क्रम संख्या
1	पूजा जैन	प्रयोगशाला सहायक-III, राबाउमावि., शास्त्री चौक, बालोतरा	प्रयोगशाला सहायक	मॉडल विद्यालय, उमरैण, अलवर	01
2	पपीता मीणा	व.अ. गणित, रामावि., समरियाकला, बेगूं	व.अ. गणित	मॉडल स्कूल, बौली सवाई माधोपुर	19



संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-3/13406/मॉडल स्कूल पदस्थापन/2021/93 दिनांक: 20-09-2021

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2- निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक: 3553 दिनांक: 15.09.2021 के क्रम में सूचनार्थ।
- 3- संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), उदयपुर/जोधपुर संभाग।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक बाड़मेर।
- 5- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।
- 6- संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
- 7- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर